



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1339) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-15/2025-5086/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 08, 2025]

बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025

प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय, रोजगार और सेवा की स्थिति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपाय प्रदान करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य मामलों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-

- (1) इस अधिनियम को बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, बिहार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।
- (4) यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होगा :
 - (क) बिहार राज्य में काम करने वाले एग्रीगेटर, प्लेटफॉर्म या प्राथमिक नियोक्ता या भारत भर में किसी अन्य राज्य में काम करने वाले या विदेशों में अनुसूची-I में निर्दिष्ट बिहार में एक या अधिक सेवाएं प्रदान करने वाले
 - (ख) धारा 10 के तहत बोर्ड के साथ पंजीकृत प्रत्येक गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कामगार पर।

2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों से निम्नलिखित अभिप्रेत होंगे:

- (क) **“एग्रीगेटर”** से अभिप्रेत होगा एक डिजिटल मध्यस्थ या एक बाजार जो किसी सेवा के खरीदार या उपयोगकर्ता को विक्रेता या सेवा प्रदाता के साथ जोड़ता है, जिसमें कोई भी इकाई शामिल है जो सेवाएं प्रदान करने के लिए एक या अधिक डिजिटल बिचौलियों के साथ समन्वय करती है;
- (ख) **“अपील प्राधिकारी”** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी;
- (ग) **“स्वचालित अनुश्रवण और निर्णय लेने वाली प्रणाली”** से अभिप्रेत है ऐसी प्रणालियाँ जो एग्रीगेटर द्वारा अनुरक्षित मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना स्वचालित साधनों द्वारा निर्णय लेती हैं;
- (घ) **“बोर्ड”** से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड;
- (ङ) **“कंपनी”** से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में परिभाषित कंपनी;
- (च) **“निधि”** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि;
- (छ) **“गिग कामगार”** से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो काम करता है या किसी कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से अर्जन करता है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर है और जो संविदा पर काम करता है जिसका परिणाम ऐसी संविदा में दी गयी शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर प्रदत्त दर पर भुगतान होता है और इसमें अनुसूची-1 में दिये गये सभी पीस-रेट कार्य शामिल हैं;
- (ज) **“शिकायत निवारण पदाधिकारी”** से अभिप्रेत है धारा 24 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी;
- (झ) **“अधिसूचना”** से अभिप्रेत है बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और अधिसूचित शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (ञ) **“पे-आउट”** से अभिप्रेत है एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म द्वारा किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए किसी भी कार्य या प्रदान की गयी सेवा के लिए प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को किया गया कोई अंतिम भुगतान;
- (ट) **“प्लेटफॉर्म”** से अभिप्रेत है किसी सेवा प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाली कोई व्यवस्था जिसमें भुगतान के बदले में एक निश्चित स्थान पर व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का संगठन शामिल होता है, और इसमें स्वचालित अनुश्रवण और निर्णय लेने की प्रणाली का उपयोग डाटा पर निर्भर करने वाला मानव निर्णय शामिल है।
- (ठ) **“प्लेटफॉर्म कामगार”** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म कार्य में लगा हुआ है या कर रहा है;
- (ड) **विहित** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

- (ढ) "प्राथमिक नियोक्ता" से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति या संगठन जो भुगतान हेतु किसी कार्य विशेष के लिए सीधे गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कामगारों को संलग्न करता है;
- (ण) "विनियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम;
- (त) "नियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;
- (थ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;
- (द) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (ध) "बर्खास्त" या "बर्खास्तगी" से अभिप्रेत है डिजिटल प्लेटफॉर्म तक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार की पहुंच को भौतिक रूप से प्रतिबंधित करना, जिसमें ऐसे कामगारों की डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अवरुद्ध करना, प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार को निलंबित करना, या प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेवाएं प्रदान करने के लिए अयोग्य बनाना शामिल है।
- (न) "यूनिक आईडी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को जारी की गई यूनिक पहचान संख्या;
- (प) "कल्याण निधि शुल्क" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 20 के अधीन उद्गृहीत शुल्क;
- (फ) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में समनुदेशित किये गए होंगे।

3. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड की स्थापना।—

1. राज्य सरकार, ऐसी तारीख को, जो वह अधिसूचना द्वारा नियत करे, बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड के नाम से अभिहित एक निगमित निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।
2. बोर्ड, जैसा आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उसके द्वारा लागू की जाने वाली सामान्य या क्षेत्र-विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ योजनाओं को अधिसूचित करेगा।
3. बोर्ड का मुख्यालय पटना में होगा।

4. बोर्ड की संरचना।—

1. बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
 - i. श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री, बिहार सरकार पदेन अध्यक्ष।
 - ii. सरकार के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार पदेन सदस्य।
 - iii. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सरकार के सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या उनका नामित जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हो।
 - iv. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सरकार के सचिव, वित्त विभाग या उनके नामित जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हो।
 - v. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सरकार के सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग या उनका नामित जो संयुक्त सचिव, बिहार सरकार के पद से नीचे नहीं हो।
 - vi. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सरकार के सचिव, परिवहन विभाग या उसका नामित जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हो।
 - vii. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सरकार के सचिव, समाज कल्याण विभाग या उनका नामित जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं है।
 - viii. श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि-पदेन सदस्य।
 - ix. श्रम आयुक्त, बिहार सरकार-पदेन सदस्य।
 - x. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जो बोर्ड के पदेन सदस्य/सचिव के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के कार्यकारी प्रभारी के रूप में कार्य करेगा।
 - xi. राज्य सरकार द्वारा नामित प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के चार प्रतिनिधि।
 - xii. राज्य सरकार द्वारा नामित एग्रीगेटरों/प्लेटफॉर्मों के चार प्रतिनिधि।
 - xiii. गिग और प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था में अनुभव या विशेषज्ञता रखने वाले नागरिक समाज के दो प्रतिनिधि।
2. डेटा संग्रह और आईटी प्रणालियों के क्षेत्र में एक तकनीकी विशेषज्ञ को इनपुट प्रदान करने के लिए जब भी आवश्यक हो, आमंत्रित किया जा सकता है।
3. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड में उसके नामित सदस्यों का कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के रूप में होना अनिवार्य होगा।
4. नामित सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन साल का होगा, जिसे यदि श्रम संसाधन विभाग इसे नए मनोनयन होने तक उचित समझता है तो आगे बढ़ाया जा सकता है।

5. बोर्ड के किसी सदस्य की निरहता और हटाया जाना।—

1. किसी भी नामित व्यक्ति को ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त या बनाए नहीं रखा जाएगा जिससे दिवालिया विनिर्णित किया गया हो, अस्वस्थ दिमाग वाला घोषित किया गया हो, या नैतिक अधमता समाहित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
2. लंबे समय तक अनुपस्थिति (लगातार तीन बैठकों से अधिक) के आधार पर या यदि समझा जाता है कि सदस्य ने पद का दुरुपयोग किया है तो नियमों में विहित कारण बताने का अवसर देने के अध्यक्षीन बोर्ड किसी नामित सदस्य को हटा सकता है।
3. उप-धारा (2) के अधीन मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्यता या निष्कासन के कारण होने वाली किसी भी रिक्ति की स्थिति में, ऐसी रिक्ति बोर्ड द्वारा नियमों के अनुसार शेष अवधि के लिए नए नामांकन द्वारा भरी जाएगी।
4. बोर्ड का कोई भी नामित सदस्य अध्यक्ष को संबोधित अपने हाथ से लिखित रूप में किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, और उसका पद इस्तीफा स्वीकार करने पर खाली हो जाएगा।
5. किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के नामित सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा या जारी नहीं रखा जाएगा, जो—
 - क. राज्य सरकार का वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी है; या
 - ख. किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है; या
 - ग. पागल पाया जाता है या अस्वस्थ दिमाग का हो जाता है; या
 - घ. नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध है या किया गया है; या
 - ङ. वस्तु का एक एग्रीगेटर या स्वामी या निर्माता है जिसने इस अधिनियम के किसी प्रावधान का डिफॉल्ट या उल्लंघन किया है।

6. बोर्ड की बैठकें।—

1. बोर्ड अपने कार्य के संचालन के लिए निर्धारित अंतराल पर बैठक करेगा। विशेष परिस्थितियों में, अध्यक्ष कम से कम तीन दिनों की पूर्व सूचना पर एक विशेष बैठक बुला सकता है।
2. अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (श्रम संसाधन विभाग) अध्यक्षता करेंगे। यदि दोनों अनुपलब्ध हैं, तो श्रम आयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
3. निर्णय बहुमत के मत पर आधारित होंगे। टाई के मामले में, पीठासीन अधिकारी के पास निर्णायक मत होगा।
4. बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यता का एक-तिहाई होगा जिसमें प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का कम से कम एक प्रतिनिधि और एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म का एक प्रतिनिधि मौजूद होना अनिवार्य होगा।
5. नामित सदस्य बैठकों में भाग लेने के लिए यथा विहित भत्तों के हकदार होंगे।

7. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।—**बोर्ड :**

- i. इस अधिनियम के अधीन प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का निबंधन सुनिश्चित करेगा।
- ii. इस अधिनियम के अनुसार एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म का निबंधन सुनिश्चित करेगा।
- iii. कल्याण निधि शुल्क के संग्रह को प्रमाणित करने के लिए एक अनुश्रवण तंत्र स्थापित करेगा।
- iv. कामगार अंशदान पर आधारित सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना और लाभों के वितरण का निरीक्षण करना।
- v. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अनुश्रवण करना और राज्य सरकार को सुधार की अनुशंसा करना।
- vi. सुनिश्चित करेगा कि प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों की पहुँच लाभों तक है और संबंधित एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म कामगारों के साथ उनके जुड़ाव को सुविधाप्रद बनाएगा।
- vii. योजनाओं के निर्माण, समीक्षा और कार्यान्वयन पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन करेगा।
- viii. विशिष्ट श्रेणियों (उदाहरण के लिए, महिलाएं, विकलांग व्यक्ति) के लिए योजनाएं तैयार करेगा और तदनुसार सरकार को सलाह देगा।
- ix. संबंधित एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों पर संकलित डेटा एकत्र करेगा।
- x. सरकार द्वारा यथा प्रदत्त या अधिसूचित किन्हीं अन्य कार्यों को करेगा।
- xi. शिकायत निवारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में, बोर्ड मामले को सक्षम न्यायालय को सरकारी मामले के रूप में भेजेगा।

xii. बोर्ड के पास अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में जुर्माना लगाने की शक्ति होगी।

8. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के अधिकार।— एक प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार को निम्नलिखित का अधिकार होगा:

- (क) कार्य अवधि पर ध्यान दिए बिना किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग पर राज्य सरकार के साथ एक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुद को पंजीकृत कराना, और सभी प्लेटफॉर्म पर लागू एक यूनिक आईडी प्रदान किया जाएगा;
- (ख) बोर्ड द्वारा यथा विहित किसी भी न्यूनतम लेनदेन या जुड़ाव की शर्तों के अधीन, किए गए योगदान के आधार पर सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच;
- (ग) इस अधिनियम की धारा 24 में यथा विनिर्दिष्ट शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करना; बशर्ते कि इस अधिनियम की कोई भी बात किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत किसी भी अधिकार या लाभ को प्रभावित नहीं करेगी:

बशर्ते कि इस अधिनियम की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मचारों को प्रदत्त किसी अधिकार, लाभ या संरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

9. बोर्ड के पदाधिकारी और कर्मचारी।—

1. बिहार श्रम सेवा का एक अधिकारी, जो संयुक्त श्रम आयुक्त के पद से अन्यून हो, इस अधिनियम और उसके नियमों के अनुसार कार्यकारी कार्यों को करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
2. राज्य सरकार बोर्ड की सहायता के लिए पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी प्रदान करेगी।
3. सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के समग्र अधीक्षण में कार्य करेंगे।
4. इन पदाधिकारियों के लिए वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें यथा विहित होंगी।

10. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का निबंधन।—

1. राज्य सरकार एक एग्रीगेटर के माध्यम से प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के निबंधन के लिए प्रक्रिया और रीतिविहित करेगी।
2. बिहार राज्य के भीतर काम करने वाला प्रत्येक एग्रीगेटर कार्य शुरू होने के 30 दिनों के भीतर या इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, राज्य प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड के साथ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करेगा।
3. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म इस अधिनियम के प्रारंभ से साठ दिनों के भीतर यथा विहित बोर्ड को सभी ऑनबोर्ड या पंजीकृत कामगारों का अपना पूरा डेटाबेस प्रदान करेंगे।
4. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकृत सभी कामगारों के लिए, संबंधित डेटा को बोर्ड के साथ ऑनबोर्डिंग के तीस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा। एग्रीगेटर उप-धारा (1) के अधीन प्रदान किए गए डेटा में किसी परिवर्तन, अर्थात् प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों की संख्या में वृद्धि या कमी के बारे में बोर्ड को इस रीति से अद्यतन करेंगे कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।
5. बोर्ड अपने संविदात्मक विवरण के साथ बिहार में प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का एक विस्तृत डेटाबेस का रखरखाव करेगा। प्रत्येक कामगार को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) प्रदान की जाएगी। बशर्ते कि एकत्र किए गए डेटा का उपयोग केवल इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा।
6. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को एक राज्य अनुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी निबंधन स्थिति तक पहुंच और सत्यापन का अधिकार होगा।
7. पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को इस अधिनियम के अधीन एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं होगा।

11. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म का निबंधन।—

1. प्रत्येक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म इस अधिनियम के प्रारंभ से साठ दिनों के भीतर विहित रीति से बोर्ड के साथ निबंधन करेंगे।
2. बोर्ड इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी एक मनोनित पदाधिकारी के नाम और पदनाम के साथ बिहार में संचालित एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के एक पंजी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रख रखाव करेगा।
3. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म की पंजी को बोर्ड के आधिकारिक वेब पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।
4. इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होने पर एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म को कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित दंड के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।

12. उचित अनुबंध का दायित्व और अनुबंध टेम्पलेट।—

1. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के बीच किए गए सभी अनुबंध इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करेंगे।
2. अनुबंध आसानी से समझ में आने वाली सरल भाषा में लिखे जाएंगे, और संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य स्थानीय भाषा में उपलब्ध होंगे, जिसे प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार जानते हैं।
3. एक बार अनुबंध में प्रविष्ट हो जाने के बाद, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार को अनुबंध की शर्तों में किसी परिवर्तन के बारे में प्रस्तावित परिवर्तन से चौदह से अन्ध्रन दिन पूर्व अधिसूचित करेगा और तदनुसार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार के पास पूर्व अनुबंध के अधीन उनके जारी हकों के लिए बिना किसी प्रतिकूल परिणाम के अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।
4. एक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार उचित कारण के साथ, प्रति सप्ताह गिग कार्य अनुरोधों की एक विनिर्दिष्ट संख्या को अस्वीकार या नामंजूर कर सकता है, जैसा कि प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार और एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के बीच आनुबंधिक समझौते में बिना किसी प्रतिकूल परिणाम के प्रदान किया जाएगा।
5. राज्य सरकार समय-समय पर अनुबंधों के लिए क्षेत्र विशिष्ट दिशानिर्देश प्रकाशित करेगी।
6. राज्य सरकार अनुरोध पर एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म द्वारा भेजे गए अनुबंध टेम्पलेट्स की समीक्षा कर सकती है, ताकि प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार के साथ उचित अनुबंध सुनिश्चित किया जा सके।

13. स्वचालित अनुश्रवण और निर्णय लेने वाली प्रणालियों के संबंध में पारदर्शिता।—

1. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म कामगारों और उपयोगकर्ताओं दोनों को सरल भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य स्थानीय भाषा सहित भाषाओं में उनकी स्वचालित प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के बारे में आवश्यक रूप से सूचित करना चाहिए। इस सूचना को काम करने की स्थिति, कमाई, किराया निर्धारण, ग्राहक फीडबैक और अन्य प्रासंगिक डेटा पर प्रभाव को आवश्यक रूप से आच्छादित करना चाहिए।
2. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म स्थापित किसी भी स्वचालित प्रणाली द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।
3. उसके द्वारा जैसे और जब मांग की जाए— एग्रीगेटर्स/प्लेटफॉर्मों को संबंधित प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के बारे में निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में, सरल भाषा में और ऐसी भाषा में जिसमें हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कोई अन्य स्थानीय भाषा शामिल हो, आवश्यक रूप से सूचित करनी चाहिए।
 - क. मुख्य मापदंड, जो या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, कार्य के आवंटन, कार्य के वितरण, किए गए कार्य के मूल्यांकन और कार्य से इनकार करने के आधार को निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं;
 - ख. एग्रीगेटर द्वारा स्थापित रेटिंग प्रणाली, यदि कोई हो;
 - ग. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का वर्गीकरण, प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, लॉग-इन समय, या किसी अन्य मानदंड के आधार पर, जहां इस प्रकार के वर्गीकरण को एग्रीगेटर द्वारा लागू किया जाता है;
 - घ. एग्रीगेटर के पास उपलब्ध संबंधित प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का व्यक्तिगत डेटा, ऐसा व्यक्तिगत डेटा जो एग्रीगेटर द्वारा संसाधित किया जाता है, जिसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित किया जाता है;
 - ङ. कोई अन्य जानकारी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकेगी।
4. खाता निष्क्रियता, निलंबन या कार्य के अवसरों में महत्वपूर्ण कमी के मामलों में, प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर प्रभावित कामगार को निम्नलिखित प्रदान करेंगे:
 - (क) विशिष्ट कारणों को रेखांकित करने वाला एक लिखित स्पष्टीकरण;
 - (ख) निर्णय तक पहुँचाने वाले डेटा या कार्य;
 - (ग) एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय की समीक्षा के लिए अपील या अनुरोध करने का अवसर।
5. सूचना और समीक्षा का अधिकार : प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को अपनी आजीविका को प्रभावित करने वाले एल्गोरिदमीय और प्लेटफॉर्म निर्णयों की समीक्षा का अनुरोध करने का अधिकार होगा। प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर्स को निवारण के लिए आवश्यक रूप से एक तंत्र स्थापित करना चाहिए जिसमें मानव निरीक्षण और समय पर समाधान शामिल हो।

14. कार्य की समाप्ति।—

1. एक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने और सात दिनों की न्यूनतम पूर्व सूचना के साथ वैध, दस्तावेजी कारण प्रदान करने के बाद ही किसी प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को बर्खास्त कर सकता है। हालांकि, उन परिस्थितियों में जहां अंतिम उपयोगकर्ता के लिए खतरा (शारीरिक या मानसिक) है, तत्काल बर्खास्तगी की अनुमति दी जा सकेगी।
2. प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटरों और प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के बीच प्रविष्ट किए गए अनुबंधिक समझौते में प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटरों द्वारा अनुबंध की समाप्ति या प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को निष्क्रिय करने के लिए आधारों की एक विस्तृत सूची शामिल होगी।

15. आय सुरक्षा।—

1. प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर, भुगतान कटौती के मामलों में, किए गए कार्य के लिए निकाले गये बीजक में ऐसी कटौती के कारणों के बारे में प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा।
2. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पे-आउट बिना किसी देरी के किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में दो भुगतान अवधि के बीच का अंतर सेवा आपूर्ति की तारीख से 7 दिनों से अधिक नहीं होगा।

16. कौशल विकास और वित्तीय समावेशन।—

1. बिहार कौशल विकास मिशन के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के साथ बिहार कौशल विकास या जैसा अधिसूचित हो सके ऐसे अन्य योजनाओं के साथ उपयुक्त कौशल विकास, उच्च कौशल और पुनर्कौशल के लिंकेज को नियोजकता, उत्पादकता तथा वित्तीय तरलता बढ़ाने की दृष्टि से सुगम बनाएँ।
2. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों से निर्मित सामूहिक, कॉपरेटिव या कामगार यूनियन को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए नियमावली द्वारा उपबंध किये जा सकेंगे, जिसमें शामिल होंगे— वैधानिक निबंधन की सुविधा, उधार एवं अनुदान तक पहुँच, क्षमता निर्माण सहायता और उस तरह के अन्य पोषण जो उनके प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक समझे जाएँ।

17. उचित कार्य शर्तें।—

1. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म एक सुरक्षित कामकाजी वातावरण प्रदान करेंगे और बनाए रखेंगे, जहां तक यथोचित व्यावहारिक हो, जो प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के लिए कोई स्वास्थ्य जोखिम न हो।
2. वे यथा विहित सभी लागू क्षेत्र-विशिष्ट व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन करेंगे।
3. यदि कोई एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म किसी जिले के भीतर 100 या अधिक गिग/प्लेटफॉर्म कामगारों को संलग्न करता है, तो ऐसे एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म को जिले के भीतर प्रमुख स्थानों पर प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के लिए निर्दिष्ट आराम बिंदु स्थापित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे विश्राम बिंदुओं के विनिर्देश और सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएंगी।

18. संपर्क बिंदु का नामांकन।—

1. प्रत्येक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों की सहायता के लिए प्रश्नों और स्पष्टीकरणों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में एक व्यक्ति को नामित करेगा।
2. कामगार को हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य स्थानीय भाषा में संपर्क के निर्दिष्ट बिंदु के साथ संवाद करने का अधिकार होगा। और प्रश्न और स्पष्टीकरण के लिए संपर्क बिंदु का संपर्क विवरण कार्यकर्ता की प्रोफाइल के तहत प्लेटफॉर्म एप्लिकेशन पर आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

19. लेखा एवं लेखापरीक्षा।—

1. बोर्ड विहित प्रपत्र में उचित खाते, रिकॉर्ड और खातों का वार्षिक विवरण संधारण करेगा।
2. निधि खातों की लेखा परीक्षा बिहार के महालेखाकार के कार्यालय द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी।
3. बोर्ड द्वारा नियमों के अनुसार विहित समय सीमा में लेखापरीक्षित खाते और रिपोर्ट राज्य सरकार के पास जमा की जाएगी।
4. बोर्ड लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करेगा।
5. लेखापरीक्षा के लिए प्रशासनिक व्यय निधि द्वारा विहित सीमा तक वहन किया जाएगा।
6. निधि में सभी धनराशियाँ राष्ट्रीयकृत बैंक के पास संधारित की जाएगी।

20. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि।—

1. राज्य सरकार पंजीकृत कामगारों के लाभ के लिए बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि की स्थापना करेगी, जिसमें शामिल हैं:
 - i. इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कल्याण निधि शुल्क से प्राप्त सभी रकम;
 - ii. किसी भी विहित सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए व्यक्तिगत कामगारों द्वारा किया गया योगदान;
 - iii. राज्य और केंद्र सरकारों से सहायता अनुदान;
 - iv. कंपनी अधिनियम, 2013 के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधानों के अधीन प्राप्त राशियाँ;
 - v. अनुदान, दान, उपकार या वसीयत के रूप में प्राप्त रकम;
 - vi. इस अधिनियम की धारा 28 के तहत प्राप्त कंपाउंडिंग शुल्क।
 - vii. कोई अन्य विहित स्रोत।
2. बोर्ड राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्वधीन, प्रशासनिक खर्चों के लिए निधि से वार्षिक प्राप्तियों के 5% से अनधिक राशि खर्च कर सकता है।

21. गारंटीकृत न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवरेज।—

- (1) इसके अधीन बनाए गए बाद के नियमों के तहत बोर्ड द्वारा प्रदत्त यथा विहित सामाजिक सुरक्षा लाभ, पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को बढ़ाया जाएगा, जबकि वे ई-श्रम पोर्टल पर उनके निबंधन और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अनुसार एग्रीगेटर्स या प्लेटफॉर्म के लिए कार्य व्यवस्था में लगे हुए हों। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा :
 - (क) ड्यूटी पर रहते हुए आकस्मिक मृत्यु के मामले में, उपयुक्त प्राधिकारी से मृत्यु के कारण के संबंध में प्रमाणीकरण के अध्वधीन, मृत व्यक्ति के परिवारों को 4.00 लाख रुपये का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान किया जाएगा।
 - (ख) ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना के मामले में, एक सप्ताह से अधिक के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होने पर और एकमुश्त ₹16000/- प्रति व्यक्ति और एक सप्ताह से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले प्रति व्यक्ति एक मुश्त ₹5400/- का भुगतान किया जाएगा। यह उपयुक्त प्राधिकारी से दुर्घटना के कारण के संबंध में प्रमाणन के अध्वधीन है। (नोट: आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे घायल व्यक्ति इस मद के तहत राहत के पात्र नहीं होंगे।)
 - (ग) जब ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना के कारण विकलांगता की सीमा 40% से 60% के बीच हो तो एकमुश्त ₹74000/- प्रति व्यक्ति, जब विकलांगता की सीमा 60% से अधिक हो तो ₹2.50 लाख प्रति व्यक्ति, यह विकलांगता की सीमा और श्रेणी के संबंध में किसी अस्पताल या सरकार के औषधालय से डॉक्टर द्वारा प्रमाणीकरण के अध्वधीन है।
- (2) प्रत्येक महिला प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कार्यकर्ता गर्भावस्था और प्रसव के कारण होने वाली अनुमानित नौकरी हानि के नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए मातृत्व लाभ के लिए पात्र होगी। इस लाभ की गणना राज्य सरकारों द्वारा असंगठित कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर की जाएगी, या नियमों द्वारा अन्यथा विहित की जाएगी।
- (3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड की सहमति से, सामाजिक सुरक्षा लाभों की राशि बढ़ा सकेगी।

22. कल्याण निधि शुल्क।—

1. सरकार एग्रीगेटर्स/प्लेटफॉर्म से एक कल्याण निधि शुल्क की उगाही करेगी जो प्रत्येक लेनदेन में एक कामगार को किए गए भुगतान के एक प्रतिशत से कम नहीं होगा और न ही दो प्रतिशत से अधिक होगा, या यथा अन्यथा अधिसूचित।
2. अनुसूची-I में सूचीबद्ध सेवाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के एग्रीगेटर/ प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग शुल्क दरें विहित की जा सकेंगी।
3. शुल्क अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से और नियमों के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर एकत्र किया जाएगा।
4. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म विहित रीति से प्रत्येक तिमाही के अंत में निधि में एकत्र शुल्क जमा करेंगे।
5. शुल्क का भुगतान करने में विफलता राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दरों के अनुसार, वास्तविक भुगतान प्राप्त होने तक नियत तारीख से चक्रवृद्धि ब्याज को आकर्षित करेगी।

6. इस अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि, जिसमें कोई ब्याज या जुर्माना शामिल है, को सार्वजनिक मांग के रूप में माना जाएगा और भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसी तरह से महसूस किया जा सकेगा।

23. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस)।—

1. एक मंच पर प्रत्येक लेनदेन को राज्य सरकार द्वारा प्रशासित और अनुश्रवण की जाने वाली एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) पर मैप किया जाएगा।
2. कामगारों को किया गया प्रत्येक भुगतान और काटा गया शुल्क विहित रीति से सीएफएमएस में दर्ज किया जाएगा।
3. कर्मचारी स्तर पर शुल्क संग्रह और व्यय का विवरण सीएफएमएस के माध्यम से प्रकट किया जाएगा।
4. सीएफएमएस डेटा संरक्षण पर प्रचलित केंद्रीय और राज्य विधानों का पालन करेगा।

24. शिकायतों का निवारण।—

1. राज्य सरकार कामगार शिकायतों के समाधान के लिए अधिसूचना द्वारा एक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त करेगी।
2. कोई भी कामगार इस अधिनियम के तहत हकदारियों, भुगतानों या लाभों से संबंधित किसी भी मुद्दे के संबंध में शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में ऑनलाइन, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य तरीके से शिकायत दर्ज कर सकेगा। (शिकायत पोर्टल का लिंक प्रत्येक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के आवेदन पर आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।)
3. शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जा सके।
4. शिकायत निवारण पदाधिकारी एक जाँच पूरी करेगा और आवेदन के तीस दिनों के भीतर शिकायत पर एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

25. अपीलीय प्राधिकारी।—

1. संयुक्त श्रम आयुक्त (या समकक्ष रैंक) के संवर्ग में एक पदाधिकारी को अधिसूचना द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
2. शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश के नब्बे दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
3. अपीलीय प्राधिकारी अपील से साठ दिनों के भीतर अपील पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
4. अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील का निपटान करेगा।

26. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के विरुद्ध विवादों का समाधान।—

1. कम से कम एक सौ (100) रजिस्ट्रीकृत कामगारों वाला प्रत्येक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म एक आंतरिक विवाद समाधान समिति का गठन करेगा।
2. समिति की संरचना और प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जा सकेगी।
3. समिति तीस दिनों के भीतर लिखित रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत का समाधान करेगी।
4. इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, एक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केंद्रीय अधिनियम 14) के अधीन तंत्र के माध्यम से अपने विवादों का समाधान मांग सकेगा।

27. प्रकटीकरण बाध्यता।—

1. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म शिकायत निवारण तंत्र (धारा 24) के बारे में जानकारी अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से सुलभ बनाएँगे।
2. इसी तरह, विवाद समाधान तंत्र (धारा 24) का विवरण प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाएगा।
3. प्रकाशन की रीति ऐसी होगी जो विहित की जा सकेगी।

28. अपराधों का संज्ञान।—

1. प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से न्यून कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध पर विचारण नहीं करेगा।
2. इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय, जमानती और शमनीय हैं।
3. इस अधिनियम के तहत अपराधों पर विचारण में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रासंगिक अध्यायों में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।
4. मामलों पर विचारण के लिए अधिकारिता पटना होगा।

29. सामान्य शास्ति और दंड।—

1. कोई भी एग्रीगेटर, प्लेटफॉर्म, प्राथमिक नियोक्ता, या कंपनी जो इस अधिनियम या उसके संबंधित नियमों/विनियमों के तहत विहित कल्याण निधि शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, उसे एक वर्ष तक के कारावास या 2 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि सजा के बाद उल्लंघन जारी रखा जाता है तो सजा की अवधि छह माह तक बढ़ा दी जाएगी या एक लाख रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना या दोनों लगाया जाएगा।
2. इस अधिनियम के तहत आवश्यक कोई भी रिटर्न, रिपोर्ट या बयान प्रस्तुत करने में विफल होने या इनकार करने पर जुर्माने से दंडनीय होगा जो 3 महीने के कारावास तक या ₹50,000 के जुर्माने के साथ बढ़ सकता है।

30. डेटा संरक्षण और गोपनीयता।—

1. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के तहत एकत्र किए गए प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के सभी व्यक्तिगत डेटा को विधिपूर्वक, निष्पक्ष और सुरक्षित रूप से संसाधित किया जाए।
2. कोई भी व्यक्तिगत डेटा कार्यकर्ता की पूर्व, सूचित और स्पष्ट सहमति के बिना एकत्र या संसाधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विधि के तहत अन्यथा आवश्यक न हो।
3. डेटा संग्रह इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण, कल्याण, वितरण और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक तक सीमित होगा।
4. कल्याण बोर्ड व्यक्तिगत डेटा को अनधिकृत पहुँच, दुरुपयोग या उल्लंघन से बचाने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपायों को लागू करेगा।
5. डेटा तक पहुँच केवल वैध उद्देश्यों के लिए अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित होगी।
6. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत कार्यकर्ता को अधिकार होगा
 - (क) उनके व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच;
 - (ख) गलत डेटा में सुधार या अद्यतन का अनुरोध; तथा
 - (ग) लागू कानून के अधीन सहमति वापस लेना।
7. कार्यकर्ता की स्पष्ट सहमति या कानूनी प्राधिकरण के बिना व्यक्तिगत डेटा को तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा, जिसमें प्लेटफॉर्म कंपनियां शामिल हैं।
8. इसके बावजूद, यदि डेटा को डेटा प्रत्ययी के साथ साझा किया जाता है, तो एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और अन्य लागू कानूनों के तहत प्रावधान के अनुसार डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में डेटा प्रत्ययी पर मुकदमा करने का आदेश होगा।
9. अन्वेक्षा और शिकायत निवारण
 - (क) राज्य सरकार अनुपालन के अनुश्रवण और शिकायतों के समाधान के लिए कल्याण बोर्ड के अंतर्गत एक डेटा सुरक्षा पदाधिकारी अभिहीत करेगी।
 - (ख) डेटा से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और समाधान करने की प्रक्रियाएँ नियमों द्वारा विहित की जाएँगी।

31. अपराधों का शमन।—

1. इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध, अभियोजन के संस्थित होने से पहले या बाद में, कथित अपराधी द्वारा एक आवेदन पर, ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट कर सकेगी, शास्ति के पच्चीस प्रतिशत समझौता राशि के भुगतान से समझौता किया जा सकेगा।
 - (क) परंतु, उपयुक्त सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त विनिर्दिष्ट समझौता राशि में संशोधन कर सकेगी:
 - (ख) परंतु, एक ही अपराधी द्वारा दूसरी बार किए गए समान प्रकृति के अपराध न्यायालय की अनुमति से समझौता योग्य होंगे:
 - i. अभियोजन से पहले समझौता उस अपराध के संबंध में आगे की कार्यवाही से अपराधी को पूरी तरह से मुक्त कर देगा।
 - ii. ऐसे मामलों में जहाँ अभियोजन शुरू हो गया है, शिकायत निवारण पदाधिकारी मामले को वापस लेने के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन कर सकेगा, जिसके परिणाम होगा संबंधित विधिक प्रावधानों के तहत मुक्त करना या छोड़ देना।

32. एग्रीगेटर्स/प्लेटफॉर्म द्वारा वार्षिक प्रस्तुति और रिपोर्टिंग।— एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म बोर्ड को विहित प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक विस्तृत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

33. बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट।—

1. बोर्ड इस अधिनियम के तहत अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट संकलित करेगा और इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
2. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि रिपोर्ट यथाशीघ्र व्यवहारिक हो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाए।

34. अतिरिक्त प्रावधान के रूप में कार्य।— इस अधिनियम के उपबंध वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।

35. एक से अधिक लाभों की हकदारी।— इस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया कोई भी अधिकार या पात्रता उस समय लागू किसी अन्य विधि के तहत प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगारों को दिए गए किसी भी लाभ या सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेगी।

36. नियमों को बनाने की शक्ति।—

1. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
2. ये नियम बिना किसी सीमा के निम्नलिखित पहलुओं को आच्छादित कर सकेंगे
 - i. बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया;
 - ii. मनोनित बोर्ड सदस्यों के लिए भत्ते की दरें;
 - iii. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रक्रियाएं और उनके रजिस्टर का बाद में प्रकाशन;
 - iv. स्वचालित निर्णय लेने वाली प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया;
 - v. क्षेत्र-विशिष्ट व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक;
 - vi. खातों का रखरखाव और लेखापरीक्षित रिपोर्ट की आवधिक प्रस्तुति;
 - vii. निधि मुद्राओं का उचित संचालन;
 - viii. कल्याण निधि शुल्क के लिए संग्रह और जमा प्रक्रियाएँ;
 - ix. एग्रीगेटर्स से बकाया राशि की वसूली की रीति;
 - x. सीएफएमएस को प्रस्तुत डेटा का प्रारूप और अखंडता;
 - xi. शिकायत और अपील निपटान की प्रक्रिया;
 - xii. आंतरिक विवाद समाधान समिति की संरचना और प्रक्रिया;
 - xiii. अपराधों के शमन की प्रक्रिया;
 - xiv. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म द्वारा त्रैमासिक रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया;
 - xv. इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक या पूरक कोई अन्य मामले।

37. विनियम बनाने की शक्ति।—बोर्ड इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित विषयों के लिए विनियम बना सकेगा:

1. धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार एग्रीगेटर्स के रजिस्ट्रीकरण की रीति।
2. वह विधि जिसके द्वारा एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म को सभी ऑनबोर्ड कामगारों का डेटाबेस प्रस्तुत करना होगा।
3. कामगार डेटा को समय पर अद्यतन और साझा करने की प्रक्रिया।
4. बोर्ड द्वारा प्रदत्त कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कोई अतिरिक्त मामले।

38. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।— यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो समय-समय पर कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

39. अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-I की प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगी।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अनुसूची I
(एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म प्रदत्त सेवाएँ)

1. राइड शेयरिंग सेवाएँ
2. खाद्य और किराना आपूर्ति सेवाएँ।
3. लॉजिस्टिक्स सेवाएँ।
4. वस्तुओं और/या सेवाओं की थोक / खुदरा बिक्री के लिए ई-मार्केटप्लेस सेवाएं (बाजार और सूची प्रतिमान मॉडल दोनों), चाहे व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) या व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी)।
5. व्यावसायिक गतिविधि प्रदाता सेवाएँ।
6. स्वास्थ्य सेवाएँ।
7. यात्रा और आतिथ्य सेवाएं।
8. सामग्री और मीडिया सेवाएं।
9. कोई अन्य वस्तु और/या सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-15/2025-5087/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2025 को अनुमत बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निर्बंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम 08, 2025) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 08, 2025]

The Bihar Platform Based Gig Workers (Registration, Social Security and Welfare) Act, 2025

AN

ACT

to provide social security measures, employment and service conditions, safety, health and welfare measures for platform based gig workers and for other matters connected therewith or incidental there to.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India, as follows: -

1. Short Title, Extent, and Commencement.-

1. This Act may be called the **Bihar Gig and Platform Based Workers (Registration, Social Security and Welfare) Act, 2025.**
2. It extends to the whole of the State of Bihar.
3. It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Bihar Gazette, appoint: Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provisions to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.
4. This Act applies to: (a) Aggregators, platforms or primary employers operating in the State of Bihar or those operating in any other States across India or overseas rendering one or more services in Bihar as specified in Schedule-I. (b) Every Gig and Platform Based worker registered with the Board under Section 10.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires, the following terms shall have the following meanings:

- (a) **"aggregator"** means a digital intermediary or a marketplace that connects a buyer or user of a service with the seller or the service provider, including any entity that coordinates with one or more digital intermediaries for providing the services;
- (b) **"Appellate Authority"** means the authority as notified by the State Government;

- (c) **"Automated monitoring and decision-making systems"** means systems which make decisions by automated means with or without human intervention maintained by the aggregator;
- (d) **"Board"** means the **Platform Based Gig Workers Welfare Board** constituted under Section 3;
- (e) **"Company"** means a company as defined in clause (20) of Section 2 of the Companies Act, 2013;
- (f) **"Fund"** means the **Platform Based Gig Workers Social Security and Welfare Fund** established under this Act;
- (g) **"Gig worker"** means a person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer employee relationship and who works on contract that results in a given rate of payment, based on terms and conditions laid down in such contract and includes all piece-rate work in the Schedule-1;
- (h) **"Grievance Redressal Officer"** means the authority notified by the State Government under Section 24;
- (i) **"Notification"** means a notification published in the Bihar Gazette, and the word "notify" shall be accordingly construed;
- (j) **"Pay-out"** means any final payment made by the aggregator/platform to the Platform Based Gig Workers for any work performed or service rendered through a platform;
- (k) **"Platform"** means any arrangement providing a service through electronic means, at the request of a recipient of the service, involving the organization of work performed by individuals at a certain location in return for payment, and involving the use of automated monitoring and decision-making systems or human decision making that relies on data;
- (l) **"Platform Worker"** means a person engaged in or undertaking platform work;
- (m) **"Prescribed"** means prescribed by rules made under this Act;
- (n) **"Primary employer"** means any individual or organization directly engaging gig and platform based workers for a particular task against payment;
- (o) **"regulations"** means the regulations made by the Board under this Act;
- (p) **"rules"** means the rules made under this Act;
- (q) **"Schedule"** means a Schedule appended to this Act;
- (r) **"State Government"** means the Government of Bihar;
- (s) **"Terminate" or "Termination"** means materially restricting a platform-based Gig worker access to the digital platform, including blocking such workers' access to the digital platform, suspending a platform-based Gig worker, or making the platform-based Gig worker ineligible to provide services on the digital platform.
- (t) **"Unique ID"** means the Unique Identification number issued to Gig and Platform workers by the Board under this Act;
- (u) **"Welfare Fund Fee"** means the fee levied under Section 20 of this Act;
- (v) Words or expressions used but not defined herein shall have the meanings assigned to them in the General Clauses Act, 1897.

3. **Establishment of the Platform Based Gig Workers Welfare Board.-**

1. The State Government shall, on such date as it may appoint, by notification, constitute a body corporate to be known as the **The Bihar Platform Based Gig Workers Welfare Board**, which shall exercise the powers and perform the duties conferred on it by this Act.
2. The Board shall, as necessary, notify general or sector-specific social security and other benefit schemes to be implemented by it as notified by the State Government.
3. The headquarters of the Board shall be in **Patna**.

4. Composition of the Board.-

1. (1) The Board shall consist of the following members:
 - i. The Minister in-charge of the Labour Resources Department, Government of Bihar – **Ex-officio Chairperson.**
 - ii. The Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary to the Government, Labour Resources Department, Government of Bihar – **Ex-officio Member.**
 - iii. The Additional Chief Secretary or Principal Secretary or secretary to Government, Information Technology Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary, Government of Bihar.
 - iv. The Additional Chief Secretary or Principal Secretary or secretary to Government, Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary, Government of Bihar.
 - v. The Additional Chief Secretary or Principal Secretary or secretary to Government, Commercial Taxes Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary, Government of Bihar.
 - vi. The Additional Chief Secretary or Principal Secretary or secretary to Government, Transport Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary, Government of Bihar.
 - vii. The Additional Chief Secretary or Principal Secretary or secretary to Government, Social Welfare Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary, Government of Bihar.
 - viii. A representative from the Ministry of Labour and Employment, Government of India – **Ex-officio Member.**
 - ix. The Labour Commissioner, Government of Bihar – **Ex-officio Member.**
 - x. The Chief Executive Officer appointed by the State Government, who will act as the Executive in-charge of the day-to-day functioning of the Board – **Ex-officio Member/Secretary.**
 - xi. Four representatives of Platform Based Gig Workers, nominated by the State Government.
 - xii. Four representatives of aggregators/platforms, nominated by the State Government.
 - xiii. Two representatives from civil society having experience or expertise in the Gig and Platform based economy.
2. A technical expert in the field of data collection and IT systems may be invited as and when necessary to provide inputs.
3. The Platform based Gig Workers Welfare Board must have at least one-third of its nominated members as women.
4. The tenure of the nominated members will be three years from the date of appointment, which may be extended further if the Labour Resources Department deems it appropriate until a new nomination is made.

5. Disqualification and removal of a member of the Board.-

1. No nominated person shall be appointed or retained as a member who is adjudged an insolvent, has been declared of unsound mind, or has been convicted of an offence involving moral turpitude.
2. The board may remove a nominated member on grounds of prolonged absence (more than three consecutive meetings) or if the member is deemed to have misused the position, subject to an opportunity to show cause as prescribed in rules.
3. In the event of any vacancy occurring on account of death, resignation, disqualification, or removal under sub-section (2), such vacancy shall be filled by the Board by fresh nomination for the remaining term as per the rules.

4. Any nominated member of the Board may at any time resign from his/her office by writing under his/her hand addressed to the Chairperson, and his/her office shall, on acceptance of resignation, become vacant.
5. No person shall be chosen as, or continue to be, a nominated member of the Board who-
 - a. is a salaried officer or an employee of the State Government; or
 - b. is or at any time has been adjudged insolvent; or
 - c. is found to be a lunatic or becomes of unsound mind; or
 - d. is or has been convicted of any offence involving moral turpitude; or
 - e. is an aggregator or owner or manufacturer of goods who has defaulted or violated any provision of this Act.

6. Meetings of the Board.-

1. The Board shall meet at intervals as prescribed for the transaction of its business. In special circumstances, the Chairman can call a special meeting on at least three days' prior notice.
2. The Chairperson shall preside over meetings. If the Chairperson is absent, the Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Labour Resources Department) shall preside. If both are unavailable, the Labour Commissioner shall chair the meeting.
3. Decisions shall be based on a majority vote. In case of a tie, the presiding officer shall have a casting vote.
4. The quorum for a meeting shall be one-third of the total membership in which at least one representative of Platform Based Gig Workers and one representative of aggregators/platforms must be present.
5. Nominated members shall be entitled to allowances as prescribed for attending meetings.

7. Powers and Functions of the Board.-The Board shall:

- i. Ensure the registration of Platform Based Gig Workers under this Act.
- ii. Ensure the registration of Aggregators/Platforms in accordance with this Act.
- iii. Set up a monitoring mechanism to certify the collection of the Welfare Fund Fee.
- iv. Implement general and specific social security schemes based on worker contributions and oversee the disbursement of benefits.
- v. Monitor the social security schemes and recommend improvements to the State Government.
- vi. Ensure that Platform Based Gig Workers have access to the benefits and facilitate their engagement with the concerned Aggregators/Platforms workers.
- vii. Constitute a committee to provide recommendations on the formulation, review, and implementation of schemes.
- viii. Formulate schemes for specific categories (for example, women, persons with disabilities) and advise the government accordingly.
- ix. Gather compiled data on Platform Based Gig Workers from the respective Aggregators/Platforms.
- x. Exercise any other functions as conferred by or notified by the Government.
- xi. In case of non-compliance of the order passed by grievance redressal officer or appellate authority, the board shall refer the case to the competent court as government case.
- xii. The Board shall have the power to impose penalty in case of failure to submit requisite documents.

8. *Rights of Platform Based Gig Workers.*-*A Platform Based Gig Workers shall have the right to:*

- a) Get themselves registered through an aggregator/platform with the State Government upon on boarding on any platform irrespective of the work duration, and be provided with a Unique ID applicable across all platforms;
- b) Access general and specific social security schemes based on the contributions made, subject to any minimum transaction or engagement conditions as prescribed by the Board;
- c) Utilize a grievance redressal mechanism as specified in Section 24 of this Act; Provided that nothing in this Act shall affect any rights or benefits under any other prevailing law:

Provided that nothing in this Act shall affect any right, benefit or protection conferred to Platform Based Gig Workers under any other law for the time being in force.

9. *Officers and employee of the Board.*-

1. An officer of the Bihar Labour Service, not below the rank of Joint Labour Commissioner, shall be appointed as the Chief Executive Officer to perform the executive functions as per this Act and its rules.
2. The State Government shall provide sufficient officers and employees to assist the Board.
3. All officers and employees shall function under the overall superintendence of the Chief Executive Officer.
4. Salaries, allowances, and other service conditions for these officers shall be as prescribed.

10. *Registration of Platform Based Gig Workers.*-

1. The State Government shall prescribe the procedure and manner for the registration of Platform Based Gig Workers through an aggregator.
2. Every aggregator operating within the State of Bihar shall mandatorily register all Platform Based Gig Workers engaged through its platform with the State Platform Based Gig Workers Welfare Board within 30 days of commencement of engagement or within 60 days from the date of enactment of this Act, whichever is earlier.
3. Aggregators/platforms shall provide their complete database of all onboarded or registered workers to the Board within sixty days from the commencement of this Act as prescribed.
4. For all workers registered with a Aggregators/Platforms after the commencement of this Act, the relevant data shall be electronically shared with the Board within thirty days of on boarding. The aggregators shall update the Board about any changes, i.e., increase or decrease in numbers of Platform Based Gig Workers in the data provided under sub-section (1) in such manner as may be specified in the regulations.
5. The Board shall maintain a comprehensive database of Platform Based Gig Workers in Bihar along with their contractual details. Every worker shall be provided a Unique Identification Number (UID). Provided that the data collected may be used only to achieve the objectives of this Act.
6. Platform Based Gig Workers shall have the right to access and verify their registration status through a State-maintained online portal.
7. The registered Platform Based Gig Workers shall not have right to form association under this act.

11. *Registration of Aggregators/Platforms.-*

1. Every Aggregators/Platforms shall register with the Board within Sixty days from the commencement of this Act in the prescribed manner.
2. The Board shall electronically maintain a register of Aggregators/Platforms operating in Bihar along with the name and designation of a designated officer responsible for ensuring compliance with this Act.
3. The register of aggregators/platforms shall be published on the Board's official web portal.
4. Failure to comply with the provisions of this act shall render the aggregator/platform liable to a penalty as determined by the Welfare Board.

12. *Obligation of Fair Contract and Contract Templet.-*

1. All contracts entered into between Aggregators/Platforms and Platform Based Gig Workers shall comply with the provisions of this Act.
2. Contracts shall be written in simple language easily comprehensible, and shall be available in Hindi, English or any other local language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to the platform-based Gig worker.
3. Once the contract has been entered into, the aggregator shall notify the platform-based Gig worker of any change in the terms of the contract not less than fourteen days before the proposed change, and the platform-based Gig worker shall have the option to accordingly terminate the contract, without any adverse consequences for their existing entitlements under the previous contract.
4. A platform-based Gig worker may refuse or reject, with reasonable cause, a specified number of Gig work requests per week, as shall be provided in the contractual agreement between the platform-based Gig worker and the Aggregators/Platforms, without any adverse consequences.
5. The State Government shall publish sector specific guidelines for contracts from time to time.
6. The State Government may review contract templates sent by Aggregators/Platforms, on request, in order to ensure fair contracts with platform-based Gig worker.

13. *Transparency in respect of automated monitoring and decision-making systems.-*

1. Aggregators/platforms must inform both workers and users—in simple language and in languages including Hindi, English, or any other local language listed in the Eighth Schedule of the Constitution—about the procedures for seeking information regarding their automated systems. This information must cover impacts on working conditions, earnings, fare determination, customer feedback, and other relevant data.
2. Aggregators/platforms shall take measures to prevent discrimination on the basis of religion, race, caste, gender, place of birth, or disability by any automated system deployed.
3. The Aggregators/Platforms must communicate the following information regarding the respective Platform Based Gig Workers, in writing, in Hindi, English, or any other local language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to the platform-based Gig worker, as and when sought by him –
 - a. the main parameters which, either individually or collectively, are the most important for determining the allocation of work, the distribution of work, the assessment of work carried out, and the grounds for denial of work;
 - b. the rating system, if any, set up by the aggregator;
 - c. categorisation of Platform Based Gig Workers, on the basis of the quality of service rendered, log-in time, or any other criteria, where such categorisation is employed by the aggregator;

- d. the personal data of the respective Platform Based Gig Workers available with the aggregator, such personal data which is processed by the aggregator, including the purposes for which such personal data is processed;
 - e. any other information that may be notified by the State Government.
 5. In cases of account deactivation, suspension, or significant reduction in work opportunities, the Platform/Aggregators shall provide the affected worker with:
 - a. A written explanation outlining the specific reasons;
 - b. The data or actions that led to the decision;
 - c. An opportunity to appeal or request review of the decision within a stipulated timeframe.
 6. Right to Information and Review: Platform Based Gig Workers shall have the right to request a review of algorithmic and platform decisions affecting their livelihood. Platforms/Aggregators must establish a mechanism for redressal that includes human oversight and timely resolution.
- 14. Termination of Work.-**
1. An aggregator/platform may terminate a Platform Based Gig Workers only after following the principles of natural justice and providing valid, documented reasons with a minimum prior notice of seven days. However, in circumstances where there is a threat (physical or mental) to the end user, immediate termination may be allowed.
 2. The contractual agreement entered into between the Platforms/Aggregators and the Platform Based Gig Workers shall contain an exhaustive list of grounds for termination of contract by the Platforms/Aggregators or deactivation of the Platform Based Gig Workers from the platform.
- 15. Income Security.-**
1. The platform/aggregator shall, in cases of payment deductions, clearly inform the Platform Based Gig Workers of the reasons for such deductions in the invoice generated for work performed.
 2. The aggregator/platform shall, ensure that all pay-outs are made without undue delays. Under no circumstances shall the gap between two payment periods exceed 7 days from the date of delivery of service.
- 16. Skill Development and Financial Inclusion.-**
1. It shall be the duty of the Additional CEO, Bihar Skill Development Mission to facilitate the linkage of registered Platform Based Gig Workers with suitable skill development, up skilling, and reskilling programmes under the Bihar Skill Development Mission or such other schemes as may be notified, with a view to enhancing employability, productivity, and economic mobility.
 2. Provisions may be made, by rules, for the promotion and in centivisation of worker collectives, cooperatives, or unions comprising Platform Based Gig Workers, including facilitation of legal registration, access to credit and grants, capacity-building assistance, and such other support as may be considered necessary for their effective functioning.
- 17. Reasonable Working Conditions.-**
1. Aggregators/platforms shall provide and maintain, as far as reasonably practicable, a safe working environment that poses no health risk to Platform Based Gig Workers.
 2. They shall comply with all applicable sector-specific occupational safety and health standards as prescribed.
 3. If an aggregator/platform engages 100 or more Gig/Platform workers within a district, such aggregator/platform shall be required to establish designated rest points for Platform Based Gig Workers at key locations within the district. The specifications and amenities of such rest points shall be prescribed by the state government.

18. *Nomination of a Point of Contact.-*

1. Each aggregator/platform shall designate a person as the Point of Contact for queries and clarifications to aid Platform Based Gig Workers.
2. The worker shall have the right to communicate with the designated Point of Contact in Hindi, English, or any other local language listed in the Eighth Schedule of the Constitution. And the contact details of the point of contact for queries and clarifications must be provided on the platform application under the worker's profile.

19. *Accounts and Audit.-*

1. The Board shall maintain proper accounts, records, and an annual statement of accounts in the prescribed form.
2. The Fund's accounts shall be audited annually by the office of the Accountant General of Bihar.
3. The audited accounts and report shall be submitted to the State Government by the Board in the prescribed timeframe as per the rules.
4. The Board shall adhere to any directions issued by the State Government after reviewing the auditor's report.
5. Administrative expenses for the audit shall be borne by the Fund up to a prescribed limit.
6. All monies in the Fund shall be maintained with a Nationalized Bank.

20. *Social Security and Welfare Fund for Platform Based Gig Workers.-*

1. The State Government shall establish the **Bihar Platform Based Gig Workers Social Security and Welfare Fund** for the benefit of registered workers, comprising:
 - i. All amounts received from the Welfare Fund Fee levied under this Act;
 - ii. Contributions made by individual workers towards any prescribed social security scheme;
 - iii. Grants-in-aid from the State and Central Governments;
 - iv. Amounts received under the Corporate Social Responsibility provisions of the Companies Act, 2013;
 - v. Amounts received as grants, donations, benefactions, or bequests;
 - vi. Compounding fee received under section 28 of this Act.
 - vii. Any other prescribed sources.
2. The Board may spend an amount not exceeding 5% of the annual receipts from the Fund for administrative expenses, subject to the prior approval of the State Government.

21. *Guaranteed Minimum Social Security and Insurance Coverage.-*

- (1) Social security benefits provided by the Board, as prescribed under the subsequent rules framed thereunder, shall be extended to registered Platform Based Gig Workers while they are engaged in work arrangements for aggregators or platforms, in accordance with their registration on the e-Shram portal and fulfilment of other eligibility criteria as may be specified by the Central or State Governments:
 - (a) In the case of accidental death while on duty, a lumpsum of Rs. 4.00 lakh will be paid ex-gratia to families of deceased person, subject to the certification regarding cause of death from the appropriate authority.
 - (b) In case accident while on duty a lumpsum of Rs. 16000/- per person, requiring hospitalization for more than a week and a lumpsum Rs. 5400/- per person requiring hospitalization for less than a week shall be paid. This is subject to the certification regarding cause of accident from the appropriate authority. (Note: Injured persons getting treatment under the 'Ayushman Bharat' Yojana, will not be eligible for relief under this item.)

- (c) A lumpsum of Rs. 74000/- per person, when the range of disability due to accident while on duty is between 40% and 60% and Rs. 2.50 lakh per person, when the range of disability is more than 60%. This is subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding the extent and category of disability.
- (2) Every female Platform-Based Gig Worker shall be eligible for maternity benefit for a period of ninety (90) days of presumed job loss arising due to pregnancy and childbirth. This benefit shall be calculated on the basis of the minimum wage as may be notified for unorganised workers by the State Governments, or as otherwise prescribed by the rules.
- (3) The State Government may, by notification in the Official Gazette and with the consent of the Platform Based Gig Workers Welfare Board, enhance the amount of social security benefits.

22. *Welfare Fund Fee.-*

1. The Government shall levy a Welfare Fund Fee from aggregators/platforms which shall not be less than one percent nor exceed two percent of the pay-out made to a worker in each transaction, or as otherwise notified.
2. Separate fee rates may be prescribed for different types of Aggregators/Platforms based on the services listed in Schedule-I.
3. The fee shall be collected by the notified authority in the prescribed manner and within the prescribed timelines as per the rules.
4. Aggregators/Platforms shall deposit the collected fee into the Fund at the end of each quarter in the prescribed manner.
5. Failure to pay the fee shall attract compound interest from the due date until actual payment is received, as per the rates notified by the State Government.
6. Any amount due under this Act, including any interest or penalty thereon, shall be treated as a public demand and may be realized in the same manner as an arrear of land revenue.

23. *Management Information System (MIS).-*

1. Every transaction on a platform shall be mapped onto a Management Information System (MIS) administered and monitored by the State Government.
2. Every payment made to the workers and the fee deducted shall be recorded in the CFMS in the prescribed manner.
3. The details of the fee collection and expenditure at the worker level shall be disclosed via the CFMS.
4. The CFMS shall comply with the prevailing Central and State legislations on data protection.

24. *Redressal of Grievances.-*

1. The State Government shall appoint a **Grievance Redressal Officer** by notification for addressing worker grievances.
2. Any worker may file a grievance in the prescribed format—online, in person, or by any other mode—before the Grievance Redressal Officer regarding any issue concerning entitlements, payments, or benefits under this Act. (The link to the grievance portal must be provided on every aggregator/platform's application.)
3. The procedure for resolving grievances shall be such as may be prescribed.
4. The Grievance Redressal Officer shall complete an inquiry and pass a reasoned order on the grievance within thirty days of the application.

25. Appellate Authority.-

1. An Officer in the cadre of Joint Labour Commissioner (or an equivalent rank) shall be appointed as the **Appellate Authority** by notification.
2. Any person aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Officer may appeal to the Appellate Authority within ninety days of the order.
3. The Appellate Authority shall pass a reasoned order on the appeal within sixty days from the appeal. Decision of Appellate Authority shall be final.
4. The Appellate Authority shall dispose of the appeal in accordance with the prescribed procedure.

26. Resolution of Disputes Against Aggregators/Platforms.-

1. Every aggregator/platform having at least one hundred (100) registered workers shall constitute an **Internal Dispute Resolution Committee**.
2. The composition and procedure of the Committee shall be such as may be prescribed.
3. The Committee shall resolve any grievance received in writing within thirty days.
4. Notwithstanding anything contained in this section, a platform-based Gig worker may seek resolution of his disputes through the mechanism under the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act 14 of 1947).

27. Disclosure Obligations.-

1. Aggregators/platforms shall make information regarding the grievance redressal mechanism (Section 24) widely accessible on their platforms.
2. Similarly, details of the dispute resolution mechanism (Section 24) shall be clearly published on the platform.
3. The manner of publication shall be such as may be prescribed.

28. Cognizance of Offences.-

1. No court inferior to a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence under this Act.
2. Offences under this Act are cognizable, bailable, and compoundable.
3. In trying the offences under this Act, the procedure prescribed in relevant Chapters of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 shall be applicable.
4. Jurisdiction for trying the cases will be Patna.

29. General Penalties and Punishments.-

1. Any aggregator, platform, primary employer, or company—who fails to pay the prescribed Welfare Fund Fee under this Act or its associated rules/regulations, shall be punishable with imprisonment up to one year, or with a fine up to Rs. 2 lakhs, or both and if the contravention is continued after the conviction, then, the duration of punishment shall be extended by 6 months or an additional fine up to Rs. 1 lakh shall be imposed or both.
2. Failure or refusal to submit any return, report, or statement required under this Act shall be punishable with a fine which may extend up to 3 months of imprisonment or with a fine of Rs. 50,000.

30. Data Protection and Privacy.-

1. The State Government shall ensure that all personal data of Platform Based Gig Workers collected under this Act is processed lawfully, fairly, and securely, in accordance with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 and other applicable laws.
2. No personal data shall be collected or processed without the prior, informed, and explicit consent of the worker, unless otherwise required under law.
3. Data collection shall be limited to that which is necessary for registration, welfare delivery, and other functions under this Act.
4. The Welfare Board shall implement appropriate technical and organizational safeguards to protect personal data from unauthorized access, misuse, or breach.

5. Access to data shall be restricted to authorized personnel for lawful purposes only.
6. Every registered worker shall have the right to—
 - a) access their personal data;
 - b) request correction or updating of inaccurate data; and
 - c) withdraw consent, subject to applicable law.
7. Personal data shall not be shared with third parties, including platform companies, without the worker's explicit consent or legal authorization.
8. Notwithstanding, if the data is shared with data fiduciary, the Aggregators/ Platforms shall have the mandate to sue the data fiduciary in case of breach of data privacy in accordance to the provision under digital personal data protection act 2023 and other applicable laws.
9. Oversight and Grievance Redressal —
 - a) The State Government shall designate a Data Protection Officer within the Welfare Board to monitor compliance and address grievances.
 - b) Procedures for filing and resolving data-related complaints shall be prescribed by rules.

31. *Compounding of Offences.-*

1. Any offence punishable under this Act may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount twenty five percent of penalty, by such officer or authority as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:
 - a) Provided that, the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:
 - b) Provided further that, the offences of the same nature committed by the same offender for second time shall be compoundable with permission of court:
 - i. Compounding prior to prosecution shall discharge the offender fully from further proceedings regarding that offence.
 - ii. In cases where prosecution has commenced, the Grievance Redressal Officer may apply to the competent court for case withdrawal, which shall result in discharge or acquittal under the relevant legal provisions.

32. *Annual Submission and Reporting by Aggregators/Platforms.*—The aggregator/platform shall submit a detailed annual return electronically in the prescribed format to the Board.

33. *Annual Report of the Board.*—

1. The Board shall compile an annual report on its activities under this Act and submit it to the State Government.
2. The State Government ensure that the report is laid before the State Legislature as soon as practicable.

34. *Act as an Additional Provision.*—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law presently in force.

35. *Entitlement to more than one benefit.*—No right or entitlement provided for under this Act shall affect any benefit or protection accorded to platform-based Gig workers under any other law for the time being in force.

36. Power to Make Rules.-

1. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
2. These rules may cover, without limitation, the following aspects:
 - i. The procedure for Board meetings;
 - ii. Allowance rates for nominated Board members;
 - iii. The registration procedures for aggregators/platforms and subsequent publication of their register;
 - iv. The process of seeking information on automated decision-making systems;
 - v. Sector-specific occupational safety and health standards;
 - vi. Maintenance of accounts and periodic submission of the audited report;
 - vii. Proper handling of Fund monies;
 - viii. The collection and deposit procedures for Welfare Fund Fees;
 - ix. The manner of recovery of dues from aggregators;
 - x. The format and integrity of data submitted to the CFMS;
 - xi. The process for grievance and appeal disposal;
 - xii. The composition and procedure of the Internal Dispute Resolution Committee;
 - xiii. The process of compounding offences;
 - xiv. The procedure for submitting quarterly returns by aggregators/platforms;
 - xv. Any other matters ancillary or supplementary to achieving the objectives of this Act.

37. Power to Make Regulations.—*The Board may make regulations to provide for the following matters under this Act:*

1. The manner of registration of aggregators as per sub-section (1) of section 11.
2. The method by which aggregators/platforms must submit the database of all onboarded workers.
3. The procedure for updating and sharing worker data in a timely manner.
4. Any additional matters deemed necessary by the Board to effectively discharge the functions conferred upon it.

38. Power to Remove Difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may be necessary or expedient for removing the difficulty from time to time.

39. Power to Amend Schedules .—The State Government may, by notification, amend the entries in Schedule-I.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

SCHEDULE-I
(Services Provided by Aggregators/Platforms)

1. Ride sharing services.
2. Food and grocery delivery services.
3. Logistics services.
4. E-Marketplace services (both marketplace and inventory model) for wholesale/retail sale of goods and/or services, whether Business-to-Business (B2B) or Business-to-Consumer (B2C).
5. Professional activity provider services.
6. Healthcare services.
7. Travel and hospitality services.
8. Content and media services.
9. Any other goods and/or services provider platform.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

—
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1339-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>